पत्र सं०-एम-4-25/2013 /12031/ /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 02/12/13

विषय:- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को केनरा बैंक के माध्यम से गृह निर्माण, मकान का क्रय एवं मरम्मती हेतु ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-420 दिनांक 21.01.2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22.05.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। मकान का निर्माण एवं क्रय के लिए अग्रिम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अपने बजट में राशि का उपबंध करती है । वर्त्तमान में गृह निर्माण ऋण की अधिसीमा ₹7.50 लाख रूपये की सीमा तक अथवा अपने वेतन का 60 गुणा दोनों में से जो कम हो, राज्य सरकार से ऋण प्राप्त होता है । इसके कारण सभी कर्मियों का गृह निर्माण ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

2. चालू व्यवस्था के तहत अत्यंत सीमित सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग के द्वारा केन्द्रीयकृत तरीके से ऋण दिया जाता है । नई योजना लागू हो जाने से सारे राज्यकर्मियों को अपने जिला के मुख्यालय से राष्ट्रीयकृत बैंक यथा, केनरा बैंक के माध्यम से गृह निर्माण हेतु ऋण की सुविधा बाजार से कम दर पर मिल सकेगी ।

3. छठे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त सुझाव के आलोक में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के सेवी वर्ग को बैंको के माध्यम से गृह निर्माण ऋण/मकान क्रय ऋण उपलब्ध कराने हेतु केनरा बैंक से समझौता किया गया है । जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित है:-

(i) बैंक के द्वारा जिस न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को ऋण दिया जा सकेगा वह बैंक का base rate है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है । राज्य सरकार के सेवाकर्मी को गृह निर्माण हेतु ₹30 लाख तक ऋण का भुगतान base rate (9.95%) पर किया जाएगा । यदि base rate में परिवर्तन होगा तो तदनुसार interest rate भी घट-बढ़ सकता है । इस प्रकार यह floating interest at base rate होगा ।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मी जो ऋण लेगा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से जिला के मुख्यालय में अवस्थित संबंधित बैंक में आवेदन देगा और उसे उसकी भुगतान क्षमता एवं बची हुई सेवा के आधार पर बैंक 15 दिनों में ऋण देगा ।

(iii) राज्य सरकार की भूमिका मात्र एक guarantor की होगी जिसमें सेवा कर्मी का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक को इस शर्त को सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के वेतन से बैंक द्वारा निर्धारित EMI को बैंक के loan account में वह काटकर भेजा जाएगा ।